94254 32000
DARSHAN Sr

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179132017A1244714
पंजीकरण की तिथि	15/05/2017
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	16/05/2017
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	3179221
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	3847500
पंजीयन शुल्क (रूपये)	30780
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	327038
उप पंजीयक का नाम	DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

विक्रेता - स्वयं

संगठन का नाम	मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री कैलाशसिंह रघुवंशी
पता	106/ एफ.एच.,योजना क्रमांक 54, इंदौर (म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

खरीदार- स्वयं

नाम	दीपक लीलानी
पिता/पति का नाम	श्री दर्शन लीलानी
पता	124 त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन,माणिक बाग रोड,इंदौर(म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by DIXIT
DUSHYANT
Date: 2017.05.16
11:50:49 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011715052017004778
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	327038
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	192375
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	76950
जनपद ड्यूटी (रुपए)	38475
उपकर राशि (रुपए)	19238
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	15/05/2017 13:44:36
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Lalit Kumar Barjatya/SP011743106201500877
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	101 Man Heritage 6/2 South Tukoganj इन्दौर इंदौर

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लिखत	हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य या उसमें उपवर्णित प्रतिफल की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, का पांच प्रतिशत.
उद्देश्य	हस्तांतरण-पत्र

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड
पता	106/ एफ.एच.,योजना क्रमांक 54, इंदौर (म.प्र.)
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	दीपक लीलानी
पता	124,त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन,माणिक बाग रोड,इंदौर(म.प्र.)
व्यक्तियों की संख्या	1

।। श्री ।।।। विक्रय विलेख ।।प्रकोष्ठ/ऑफिस क्रमांक 803(आठ सौ तीन) "शेखर सेन्ट्रल" प्लाट क्र.4 एवं 5 (ब्लाक, प्लाट क्र.1 पैकि भाग),मनोरमागंज, ए.बी.रोड इंदौर का विक्रय विलेख विक्रय मूल्य रूपये 38,47,500/-

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

|| श्री ||
|| विक्रय विलेख ||
प्रकोष्ठ/ऑफिस क्रमांक 803(आठ सो तीन) "शेखर सेन्ट्रल"
प्लाट क्र.4 एवं 5 (ब्लाक, प्लाट क्र.1 पैकि भाग),मनोरमागंज, ए.बी.रोड इंदौर का विक्रय विलेख
विक्रय मूल्य रूपये 38,47,500/-

विक्रेतापक्ष:-
मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड,(PAN: AACCC4291J)
(पंजीयन क्र. U74140WB2004PTC 098272 DT.06.04.2004)
पंजीकृत कार्यालय 72/2,SARAT BOSE ROAD,OPP.LANSH DOWN MARKET,
KOLKATA-700025(W.B.)
तर्फे अधिकृत डायरेक्टर-
श्री कैलाशसिंह रघुवंशी पिता श्री जुगराजसिंह जी रघुवंशी,
(PAN : ABFPR0382J)
निवासी 106/ एफ.एच.,योजना क्रमांक 54, इंदौर (म.प्र.)

क्रेतापक्ष :-

श्री दीपक लीलानी पिता श्री दर्शन लीलानी,
(PAN: AFAPL5114P)
निवासी 124,त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन,माणिक बाग रोड,इंदौर(म.प्र.)

यह विक्रय विलेख विक्रेतापक्ष के व्दारा आप क्रेतापक्ष के हित में निष्पादित कर पंजीयत कराया जाता है,ऐसा कि:-

1. यह कि, विक्रेतापक्ष के स्वामित्व,आधिपत्य एवं लीज अधिकारों की तथा क्लीयर टाईटल की अचल सम्पत्ति प्लाट क्र.4 एवं 5 (ब्लाक,प्लाट क्रमांक 1 पैकि भाग), मनोरमागंज,ए.बी.रोड, इंदौर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 64521 वर्गफीट अर्थात् 5996.37 वर्गमीटर है। विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति 1.श्री देबाशीष डे पिता स्व.श्री संतोष कुमार डे स्वयं एवं ब्रहैसियत आम मुखत्यार 2. श्रीमती शर्मिला डे पिता स्व.श्री संतोष कुमार डे 3. सुश्री पूर्णिमा डे पिता स्व.श्री संतोष कुमार डे,निवासी 24/2,मनोरमागंज,इंदौर से बजर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र नोंद क्रमांक 1अ/6116(ग)दिनांक 23/2/2007 के व्दारा विधिवत् रूप से क्रय की गई है तथा पश्चात विधिवत रूप से लीज नामांतरण अनुबंध लेख विक्रेतापक्ष एवं लीजदाता नगर पालिक निगम, इंदौर के अधिकृत प्रतिनिधि नगर शिल्पिज तर्फे आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर के मध्य निष्पादित एवं पंजीकृत हुआ है, जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेज नोंद क्रमांक 1अ/2864(क्षेत्र क्र.9) दिनांक 20-फरवरी-2008 है।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड

प्रतिनिधित्व:- श्री कैलाशसिंह रघुवंशी

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 15/05/2017 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 05:17:42 बजे प्रस्तुत किया गया।

DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

सदर प्लाट पश्चिम मुखी होकर इसके निकास की स्वतंत्र व्यवस्था पश्चिम दिशा में स्थित ए.बी.रोड से होकर है। विक्रेतापक्ष-मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री कैलाशसिंह रघुवंशी पिता श्री जुगराजसिंह जी रघुवंशी एवं श्री सुधीर पिता श्री कामताप्रसाद जी उपाध्याय व्दारा सदर प्लाट पर हाईराईज व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग व्दारा High Rise Building sanctioned No 5916 Dated 25.10.2008 तथा नगर पालिक निगम,इंदौर भवन अनुज्ञा समिति के प्रस्ताव क्र.156 दि. 13.4.2010 व्दारा अनुमोदित मानचित्र दाखला क्र.26496 दिनांक 16.4.2010 स्वीकृत कराकर सदर प्लाट पर हाईराईज व्यावसायिक भवन का निर्माण कार्य किया है, जिसका नाम ''शेखर सेन्टल'' SHEKHAR CENTRAL है। सदर भवन मॉल नही होकर शुद्ध रूप से व्यावसायिक भवन है ।सदर भवन की चतु:सीमा निम्नानुसार है:-

चतु:सीमा :-
पूर्व में : बेकलेन
पश्चिम में : ए.बी.रोड
उत्तर में : पंजाब नेशनल बैंक
दक्षिण में : सांघी मोटर्स

विक्रेतापक्ष के व्दारा सदर भवन के लिये मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 की धारा 2 के अन्तर्गत घोषणा-पत्र पंजीकृत करवा लिया है,जिसका पंजीयन क्रमांक 1अ/5753(क्षेत्र क्र.9) दिनांक 14-12-2011 है। सदर भवन पैकि अग्रलिखित चरण 2 में वर्णित प्रकोष्ठ क्रय करने का प्रस्ताव क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष के समक्ष किया,जिसे विक्रेतापक्ष ने स्वीकार किया होकर यह विक्रय विलेख विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्षद के हित में निष्पादित कर पंजीयत कराया गया है।

2.बिक्रीत प्रकोष्ठ/ऑफिस का विस्तृत विवरण एवं चतु:सीमा :-

प्रकोष्ठ/ऑफिस क्रमांक 803(आठ सौ तीन),जिसका बिल्टअप एरिया 875 (आठ सौ पिच्योत्तर) वर्गफीट अर्थात् 81.31 (इक्यासी दशमलव तीन एक) वर्गमीटर है, जो प्लाट क्र. 4 एवं 5 (ब्लाक,प्लाट क्रमांक 1 पैकि भाग),मनोरमागंज, ए.बी.रोड, इंदौर पर निर्मित हाईराईज भवन ''शेखर सेन्ट्रल'' SHEKHAR CENTRAL की आठवीं मंजिल पर स्थित है। सदर प्रकोष्ठ में पार्टीशन वाल शामलाती उपयोग की होकर इस विक्रय में उपर की छत के अधिकार सम्मिलित नही है। उक्त प्रकोष्ठ निजी स्वामित्व के होकर इसके निकास की स्वतंत्र व्यवस्था भवन के कामन पैसेज एवं चढाव से होकर भवन के मुख्य मार्ग से है। सदर बिक्रीत प्रकोष्ठ को इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से आगे ''सदर संपति'' के नाम से संबोधित किया गया है, जिसकी चतु :सीमा निम्नानुसार है :-
चतु : सीमा :-

पूर्व में : कॉमन पैसेज
पश्चिम में : खुला भाग
उत्तर में : प्रकोष्ठ क्रमांक 804

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

दक्षिण में : प्रकोष्ठ क्रमांक 802

3. यह कि,उक्त चरण 2 में वर्णित प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को सम्पूर्ण मालकी हक,स्वत्व,एवं अधिकारों सहित कुल कीमत रूपये 38,47,500/-(अक्षरी रूपये अडतीस लाख सैतालिस हजार पांच सौ केवल)में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है:-

रूपये 5,00,000/-(अक्षरी रूपये पांच लाख केवल)बजर्ये चेक क्र.728628 दिनांक 18/04/2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के व्दारा प्राप्त।

रूपये 33,47,500/-(अक्षरी रूपये तेतीस लाख सैतालिस हजार पांच सौ केवल)बजर्ये चेक क्र.728635 दिनांक 11/05/2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के व्दारा प्राप्त।

कुल रूपये 38,47,500/-(अक्षरी रूपये अडतीस लाख सैतालिस हजार पांच सौ केवल)

अब इस विक्रय व्यवहार एंव प्रतिफल बाबद् कोई धनराशि लेना बकाया नहीं रही है।

4. यह कि, उपरोक्त चरण क्रमांक 2 में वर्णित प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को विक्रय रीति से एंव प्रतिफल के फलस्वरूप विक्रय करके अन्तरित कर दिया है तथा सदर प्रकोष्ठ का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सौंप दिया है एवं क्रेतापक्ष ने आधिपत्य प्राप्त कर लिया है।

5.यह कि,उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष के द्वारा आप क्रेतापक्ष को विक्रय कर देने से इसके स्वामित्व बाबद विक्रेतापक्ष एवं उनके हितग्राहियो में निहित समस्त स्वत्व, हक, अधिकार इस विक्रय विलेख के द्वारा अन्तरित होकर आप क्रेतापक्ष में वैष्ठित हो गये है। अब आप क्रेतापक्ष उक्त सम्पति के स्वामी एंव आधिपत्यधारी हो गये है। उक्त सम्पति को स्वेछानुसार उपयोग,उपभोग व अन्त्रण आप क्रेतापक्ष करेंगे, जिसमें विक्रेतापक्ष या उनके वारिसान को कोई उजर या आपति नही रहेगी।

6.यह कि, विक्रेतापक्ष एतद् द्वारा घोषित करते है कि आप क्रेतापक्ष को विक्रय किया गया प्रकोष्ठ समस्त प्रकार के भार,बोझ व अन्तरण से मुक्त होकर ऐसे किसी भी अन्तरण के लिये विक्रेतापक्ष द्वारा कोई लिखतम आदि का निष्पादन भी नही किया है तथा विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का पारिवारिक या कानूनी विवाद आदि वर्तमान में किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है। उक्त सम्पति सम्पूर्ण रूप से भार मुक्त है।

7.यह कि,उक्त अन्तरण से मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है।

8. यह कि, आप क्रेतापक्ष को इस भवन के कामन पेसेज,चढाव, पार्किंग स्थत, उपकरणों व यंत्रों, ट्यूबवेल आदि के उपयोग, उपभोग करने के अधिकार इस भवन के अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से रहेगा। आप क्रेतापक्ष के द्वारा उक्त सुख सुविधाओं पर ऐसा कोई कभी अतिक्रमण अथवा व्यवहार नहीं किया जावेगा जिससे कि उक्त प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा हो व उनके अधिकारों को बाधा उत्पन्न होती है।

9.यह कि,आप क्रेतापक्ष इस बिक्रीत प्रकोष्ठ के कालम,बीम,छत व पार्टीशन वाल में ऐसा कोई

एडीशन,आल्ट्रेशन या नवनिर्माण नही कर सकेगें, जिससे की भवन की दृढ़ता एंव सुन्दरता को, पर व नीचे के प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा हो एंव उनके अधिकारों को क्षति पहुँचती हो। यदि आप क्रेतापक्ष की ओर से ऐसा कोई कार्य किया जाना सिद्ध पाया गया तो उसकी नुकसानी एंव क्षतिपूर्ति का दायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा ।

10.यह कि,आप क्रेतापक्ष बिक्रीत प्रकोष्ठ के लिये नैसर्गिक दुर्घटना व आग आदि से सुरक्षा के लिये अपने व्यय से बीमा करवा सकेंगे एवं प्राकृतिक कारणों से भविष्य में भवन धराशायी होने की दशा में आप क्रेतापक्ष को निशिचत क्षेत्रफल एवं बिक्रीत स्थान पर निर्माण का अधिकार प्रचलित नियमानुसार रहेगा।

11.यह कि, भवन की अंतिम मंजिल की छत का एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य विक्रेतापक्ष का रहेगा, जिसमें अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलने पर इस पर निर्माण कर विक्रय करने का अधिकार विक्रेतापक्ष का है । सदर भवन की अंतिम छत पर टॉवर एंव विज्ञापन होर्डिंग्सि लगाने का एवं किराया प्राप्त करने का अधिकार विक्रेतापक्ष को है ।

12. यह कि, 'शेखर सेन्ट्रल'' SHEKHAR CENTRAL हाईराईज भवन के सम्पूर्ण मेन्टेनेंस हेतु विक्रेतापक्ष के द्वारा एंजेसी की नियुक्ति की जावेगी, जिसके माध्यम से भवन का सम्पूर्ण मेन्टेनेंस किया जावेगा,एवं मेन्टेनेंस एजेंसी के पास सभी प्रकोष्ठ धारियों को निर्धारित मेन्टेनेंस का आकार प्रतिमाह नियमित रूप से जमा करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकोष्ठधारी के द्वारा मेन्टेनेंस अदा करने में अनियमितता करने पर ऐसी अनियमित एवं चूककर्ता प्रकोष्ठधारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार अधिकृत मेन्टेनेंस एजेंसी को होगा। अधिकृत मेन्टेनेंस एजेंसी पर सम्पूर्ण नियंत्रण विक्रेतापक्ष का रहेगा, एवं इनके नियंत्रण में ही एजेंसी कार्य करेगी ।

13.यह कि, यदि भविष्य में बिक्रीत प्रकोष्ठ क्रेतापक्ष के द्वारा किसी भी रीति से अन्तरित या हस्तांतरित किया जाता है या कोई व्यवस्था की जाती है तो उस दशा में क्रेतापक्ष को सदर सम्पाति के संबंध में मेन्टेनेंस एजेन्सी को देय सभी मेटेनेंस चार्जेस व संबंधित सरकारी विभागों के सभी ड्यूज को सम्पूर्ण रूप से अदा करना होगा एवं इस संबंध में मेन्टेनेंस एजेन्सी से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं उक्त सम्पति में हितग्रहण करने वाले व्यक्ति इस लेख में उल्लेखित शर्तो का पालन करने के लिये बाध्य रहेगे ।

14. यह कि, बिक्रीत सदर संपति विक्रेतापक्ष के स्वामित्व की है। भविष्य में विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व के लिये किसी भी प्रकार का विवाद या दोष पाया गया तो उसके निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा। इस कारण से आप क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी लगने देवेगे नहीं ।

15. यह कि, उक्त चरण 2 में वर्णित सदर सम्पत्ति के संबंध में देय समस्त शासकीय टैक्सेस, नगर निगम का सम्पत्ति कर, मेन्टेनेंस सोसायटी के ड्यूज म.प्र. विद्युत मण्डल के ड्यूज एवं नगर निगम का जल शुल्क एवं संबंधित विभागो के समस्त बकाया ड्यूज तथा नगर निगम का आनुपातिक लीजरेंट आदि जो भी हो को विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक तक के लिये अदा करने का दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा एवं इसके पश्चात उक्त सम्पत्ति के संबध में होने वाले समस्त दायित्वो को निर्वाह करने की जवाबदारी क्रेतापक्ष की रहेगी।

16. यह कि, 'शेखर सेन्ट्रल'' SHEKHAR CENTRAL हाईराईज भवन के लिये मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री कैलाशसिंह रघुवंशी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 15/05/2017 को लिया गया ।

DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक
उप. पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

इस दस्तावेज के निष्पादक दीपक लीलानी पुत्र/आत्मज श्री दर्शन लीलानी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 15/05/2017 को लिया गया ।

DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक
उप. पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

गवाह मुद्रा :

YASH JAIN

अधिनियम 2000 के सभी प्रावधान मान्य एवं लागू होंगे।
17. यह कि, प्रकोष्ठ स्वामी/प्रकोष्ठधारी या उनके स्वत्वगृहिता
विक्रीत प्रकोष्ठ मे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य नही करेंगे, जो शासन की नीति एवं लोकनीति एंव जनसामान्य के हितो के विपरित हो तथा विक्रीत भाग मे ऐसा कोई संग्रहण नही करेगे, जिससे भवन को एंव भवन के अन्य प्रकोष्ठ धारियों के तथा भवन मे आने वाले आगन्तुक के जीवन को कोई खतर उत्पन्न हो तथा विक्रीत भाग में ऐसी कोई मशीनरी भी स्थापित नहीं करेगे, जिससे कि काफी शोर उत्पन्न होकर भवन की दृढता व सुन्दरता को क्षति पहुँचती हो।
18.यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के स्वामित्व बाबद् आप क्रेतापक्ष अपना नामान्तरण संबंधित विभागों मे एंव नगर निगम के सम्पत्ति कर विभागो के अभिलेखो में स्वयं के व्यय से करवा सकेंगे, एवं ऐसी सभी कार्यवाहियों में विक्रेतापक्ष के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावेगा।
19.यह कि, उक्त बिक्रीत प्रकोष्ठो को क्रेतापक्ष किसी भी वित्तीस संस्था, बैंक व विभागीय वितीय कार्यालय आदि में बंधक रखकर कर्ज प्राप्त कर सकते है।

20. यह कि, भवन के प्रकोष्ठ स्वामियों को भवन के मुख्य फ्रन्ट एलीवेशन पर किसी भी प्रकार का अपने नाम एवं व्यवसाय का कोई साईन बोर्ड, एडवर्टाईजिंग बोर्ड, कमर्शियल बोर्ड, बेनर लगाने का अधिकार नही रहेगा एवं सभी प्रकोष्ठ स्वामी भवन के बाहर डिसप्ले बोर्ड पर अपने व्यय से अपने नाम एवं व्यवसाय का साईन बोर्ड अंकित कर सकेंगे।
21.यह कि,विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सदर सम्पत्ति के मालकी के सभी दस्तावेजो की फोटो प्रतियाँ क्रेतापक्ष को दे दी है एवं क्रेतापक्ष ने इन दस्तावेजों का विधिक परीक्षण एवं भवन निर्माण का तकनीकी निरीक्षण करवाकर अपनी संतुष्टि करने के पश्चात ही उक्त सम्पत्ति क्रय की है।
22.यह कि, इस विक्रय विलेख में प्रयुक्त संबोधन विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष में एतद् द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, स्वतत्व गृहिता, हितग्रहिता, उतरजीवी, समानुदेषित असाईनी,नामिनी,कानूनी प्रतिनिधी स्थानापन्न स्वहत्वार्पण प्राप्त कर्तागण,प्रबंधक, व्यवस्था कर्तागण, डायरेक्टर, निष्पाद कगण आदि का समावेश है और यह विक्रय विलेख व इसकी समस्त शर्ते इन सभी पर समान रूप से बंधनकारक रहेगी।
यह विक्रय विलेख विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष द्वारा ई-पंजीयन हेतु सेवाप्रदाता को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया होकर इस विक्रय विलेख को विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष ने आदि से अंत तक पढ़कर, सुनकर, समझकर, स्वेच्छा से, शरीर व मन की पूर्ण स्वस्थ अवस्था में साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर पंजीयत करा दिया, सो सही आवश्यकता पर काम आवें। इति, इन्दौर

उभयपक्षों के निर्देशानुसार एवं उनके व्दारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के आधार पर यह लेख मेरे व्दारा प्रारूपित किया गया है जिसे उभयपक्षो ने विलेख के निष्पादन के व्दारा स्वीकार किया है। शरद कुमार विसपुते एडव्होकेट 205, स्टारलिट टॉवर 29, वाय.एन.रोड, इंदौर मोबा नं. 9827039787

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

ABHIJEET BANSIWAL

मै/हम इस दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी S457316 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011715052017004778 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते है, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरो से इस दस्तावेज़ को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम:

कैलाश सिंह रघुवंशी S/o श्री गुमान सिंह रघुवंशी

For, CHARANSHEELA ADVISORY PVT. LTD.

DIRECTOR

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

दीपक लीलानी S/o श्री दर्शन लीलानी

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

गवाह 1 का नाम ABHIJEET Bansiwal S/o Late Shri S L Bansiwal	गवाह 2 का नाम YASH JAIN S/o KAMLESH JAIN
पता 233 Jawahar colony Indore	पता 165, VINDHYACHAL Nagar
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर Driving Lic : MP04/0919121/05	आईडी का टाईप तथा नम्बर Driv. Lic : MP09N-2007-0682177

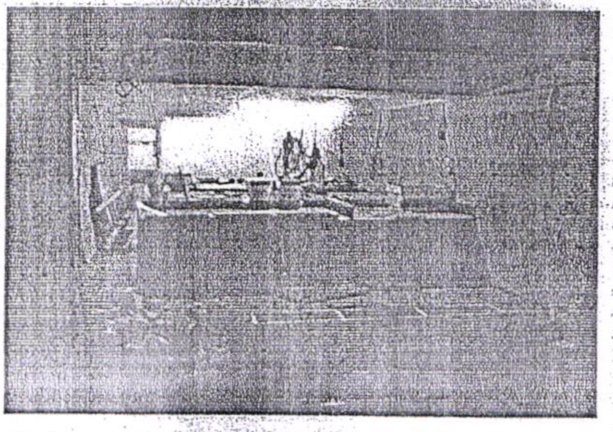

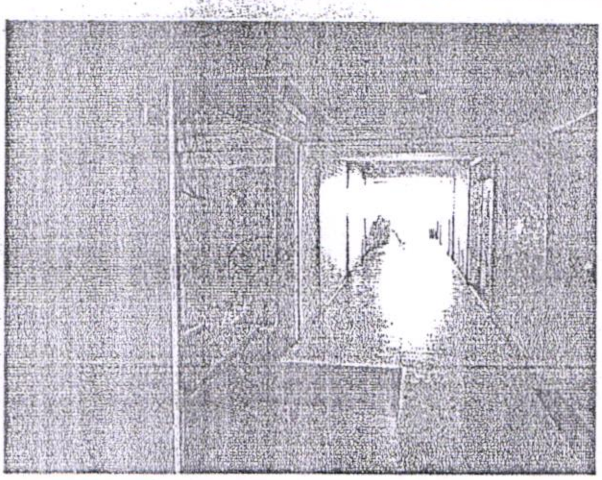

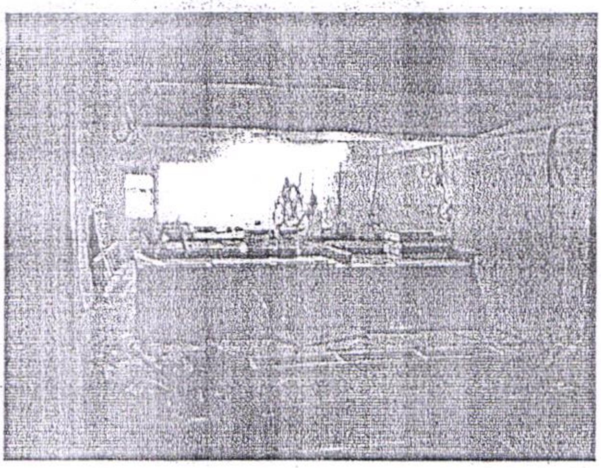

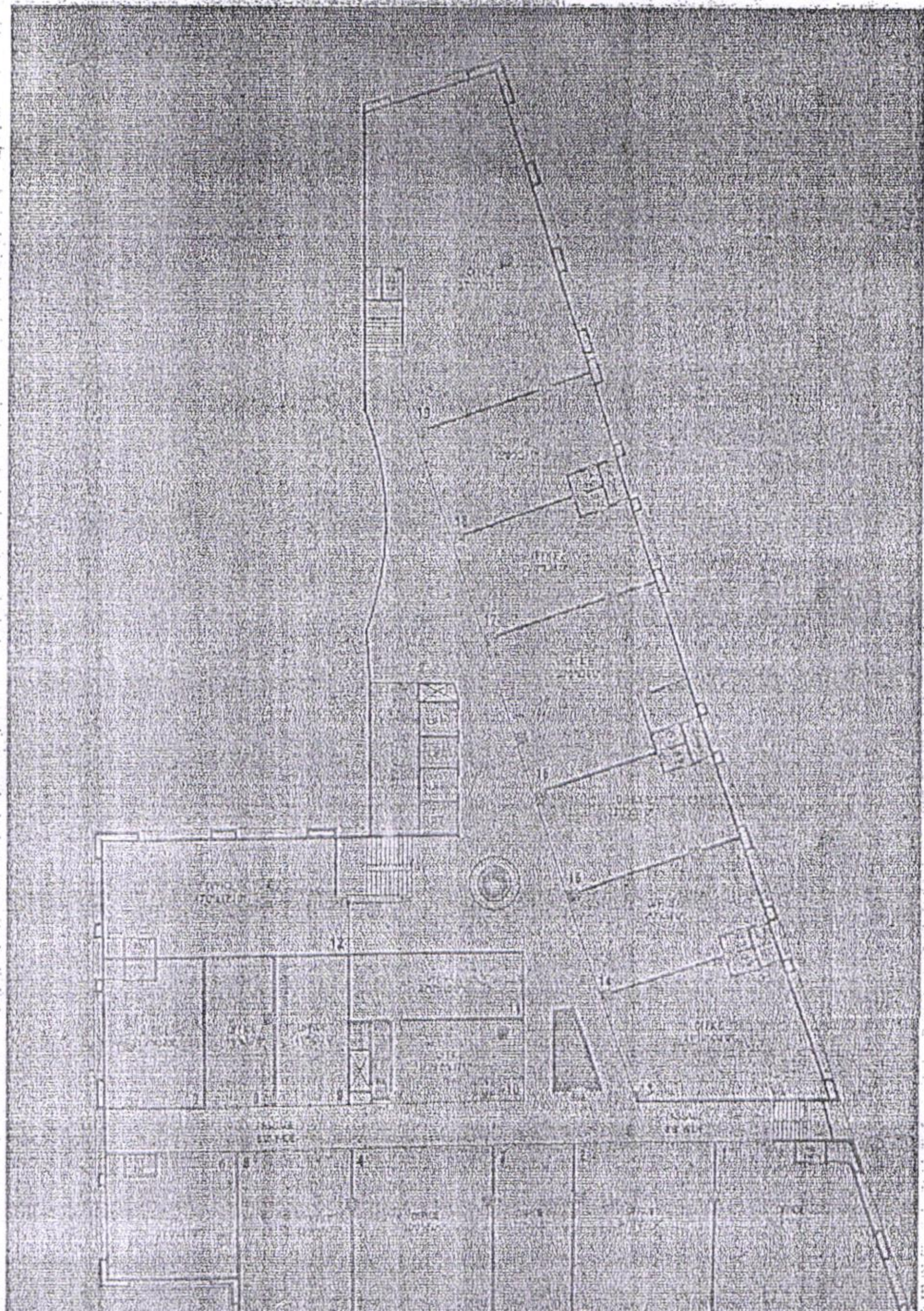

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 15/05/2017 को क्रमांक MP179132017A1244714 दे कर किया गया है। जिसमें 20 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	327038

पंजीयन शुल्क	30780
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	30780

DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 5457316 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011715052017004778 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

कैलाश सिंह रघुवंशी S/o श्री जुगराज सिंह रघुवंशी

For, CHARANSHEELA ADVISORY PVT. LTD.

DIRECTOR

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

दीपक लीलानी S/o श्री दर्शन लीलानी

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

गवाह 1 का नाम ABHIJEET Bansiwal S/o Late Shri S.L. Bansiwal
पता 233 Jawahar colony Indore
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
Driving Lic : MP04/0919121/05

गवाह 2 का नाम YASH JAIN S/o KAMLESH JAIN
पता 165, VINdhyachal Nagar
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
Driv. Lic : MP09N-2007-0682177

A12447714

पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग (वाणिज्य कर) मध्य प्रदेश

होम | डीआरएस | डाउनलोड | सेवाएं | मदद | साइट | हमसे संपर्क करें

पंजीकरण की प्रक्रिया - शुरुआत | के रूप में लॉगइनlalitbarjatya | 15 /05 /2017, 13:52:14 | साइन आउट

गाईडलाईन
संपत्ति मूल्यांकन और शुल्कगणना
ई स्टाम्प
सेवा प्रदाता
स्लॉट आरक्षण
दस्तावेज़ खोज/ प्रमाणित प्रति
आपत्ति और बैंक प्रभार
प्रमाणित प्रति
पंजीयन की प्रक्रिया
उपयोगकर्ता खाता प्रबंधन
डिजिटल हस्ताक्षर

पंजीयन फीस का भुगतान

कुल देय पंजीयन फीस	कुल शेष पंजीयन फीस	कुल चुकाई गई पंजीयन फीस
30780.0	0.0	30780.0

अगला | रद्द करें

डिस्क्लेमर:अन्तर्वस्तुएं पंजीयन व स्टाम्प विभाग द्वारा संग्रहीत, संधारित तथा अद्यतित। कॉपीराईट © 2014, आईजीआरएस, मध्यप्रदेश। सर्वाधिकार सुरक्षित। 1024 X 768 पिक्सेल्स में सर्वोत्कृष्ट रूप में दर्शित। [सेकंड में आवेदन प्रोसेसिंग समय :- 0.664] [F:U]